

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-2058/2013/अलेसे-III/55

दिनांक:-12-4-2023

कार्यालय आदेश

श्री रूपचन्द मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (मेरिट नं 2058/2013) कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, झालावाड़ को दिनांक 03.12.2021 से 15.07.2022 तक तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, झालावाड़ के साथ-साथ कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश विधि विभाग, झालावाड़ में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 03.12.2021 से 15.07.2022 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के ^{मूल} वतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (पद रिक्ति दिनांक से अधिकतम 6 माह तक) नियमानुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/आर-2058/2013/अलेसे-III/55

दिनांक:- 12-4-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, झालावाड़।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश विधि विभाग, झालावाड़।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री रूपचन्द मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, झालावाड़।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. जी. मुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)